

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5
07 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

पश्चिमी बंगाल में सहकारी योजनाओं का विवरण

5. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सहकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/उपयोग की गई निधियों/किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और पश्चिमी बंगाल राज्य में मंत्रालय द्वारा पंजीकृत संस्थायों की जिले-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पहाड़ी जिलों में कोई विशेष योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए कोई अलग योजना प्रस्तावित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारी क्षेत्र का पुनरुत्थान करने, पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों का निर्माण करने और पश्चिम बंगाल सहित देश भर में जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच स्थापित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय निम्न योजना कार्यान्वित कर रहा है:

- 2,516 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर देश भर में 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना।
- सहकारी क्षेत्र के लिए तत्कालीन सी. एस. आई. एस. ए. सी. योजना के तहत सहकारी समितियों को सब्सिडी/अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में 341.67 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 47.9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई पहल किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पंचायत स्तर पर पैक्स को बहुउद्देश्यीय जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के लिए मॉडल उपनियम।

- सभी हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण।
- शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सी.जी.टी.एम. एस.ई. (CGTMSE) के तहत सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (Member Lending Institutions) के रूप में शामिल करना।
- "खरीददारों" के रूप में जेम (GeM) पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अलावा, अन्य मंत्रालय/विभाग भी सहकारी समितियों को लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रहे हैं जैसे:

- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)- यह फार्म गेट पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने के लिए 3% का ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।
- कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) – यह विपणन सुविधाओं के लिए कृषि अवसंरचना के निर्माण हेतु 25 से 33% सब्सिडी प्रदान करती है।
- डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)- यह राज्य डेयरी संघों, जिला दुग्ध संघों आदि को नई दूध प्रसंस्करण इकाइयां, दूध परीक्षण उपकरण आदि स्थापित करने के उद्देश्य से 2.5% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।
- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) – यह विभिन्न मत्स्य गतिविधियों के लिए 40% तक सब्सिडी प्रदान करती है।

वर्तमान तिथि तक, एनसीडीसी पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न जिलों में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है जिसमें पैक्स का कृषि मशीनरी हब के रूप में विकास, पैक्स में बैंक सेवा केंद्र की स्थापना, स्वयं सहायता समूह के लिए आय बढ़ाने की पहल, सहकारी कताई मिलों के पुनर्वास के लिए समर्थन आदि शामिल हैं। अब तक एनसीडीसी ने पश्चिम बंगाल राज्य में 2,006.70 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है।

सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) एक से अधिक राज्य में उपस्थित बहु राज्य सहकारी समितियों को पंजीकृत करते हैं। 69 बहु राज्य सहकारी समितियों का मुख्यालय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है।
